

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- * 48

गुरुवार, 21 जुलाई, 2022/30 आषाढ, 1944 (शक)

उचित प्रकार की नौकरियों के संबंध में सी एम आई ई की रिपोर्ट

* 48. डा. अमी याज्ञिक:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को सेन्टर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनमी (सीएमआईई) की उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी है जिसमें यह बताया गया है कि 45 करोड़ से भी अधिक भारतीय उचित प्रकार की नौकरियां न होने के कारण नौकरियां ढूढते ही नहीं हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा योग्यता और रुचि के अनुरूप उचित प्रकार की नौकरियां सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार के पास भारत की बढ़ती बेरोजगारी दर को कम करने के लिए कोई ठोस योजना है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

“उचित प्रकार की नौकरियों के संबंध में सी एम आई ई की रिपोर्ट” के संबंध में डा. अमी याज्ञिक द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 21-07-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *48 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र (सीएमआईई), एक निजी कंपनी है। रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से है। पीएलएफएस की सर्वेक्षण अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः 50.2%, 53.5% और 54.9% थी। एलएफपीआर, उस जनसंख्या का प्रतिशत है जो या तो काम कर रहा है (नियोजित) या काम की तलाश में (बेरोजगार) है। पूरी कामकाजी उम्र की आबादी, श्रम बल में नहीं हो सकती है क्योंकि कामकाजी उम्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा या तो शिक्षा प्राप्त कर रहा है या अवैतनिक गतिविधियों जैसे अवैतनिक घरेलू गतिविधियों या घर के सदस्यों के लिए देखभाल करने वाली सेवाएं, स्वयंसेवा और प्रशिक्षण आदि में लगा हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि एलएफपीआर बढ़ रही है और जो यह दर्शाता है कि अधिक से अधिक लोग श्रम बल में शामिल हो रहे हैं।

उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 5.8%, 4.8% एवं 4.2% थी। यह, इस अवधि के दौरान बेरोजगारी दर की लगातार कमी को दर्शाता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल की गई हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। दिनांक 13.07.2022 तक 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा उनमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से मध्यम से लंबी अवधि में रोजगार का सृजन करने को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्याधिक अवसर पैदा होंगे।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 11 जुलाई, 2022 तक, इस योजना के तहत 30.26 लाख लाभार्थियों को ₹3,615 करोड़ की राशि के 33.34 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, रोजगार सृजन हेतु पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सबके लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हैं।
